

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- रिट याचिका क्रमांक 7105/15 द्वारा श्री शिववेन्दु सिंह लोभर  
विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य 25.3.15

का विभाग

पंजी क्रमांक 2853/2015/दिनांक 20-11-2015

माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जबलपुर/इन्दौर/  
ग्वालियर से प्राप्त याचिका की प्रति कलेक्टर जिला - ~~खण्डपीठ~~  
को भेजकर प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त  
किया जाना है। ~~आदेशार्थ~~

अ0अ0

अवर सचिव

10/12/15

'A' अनुमोदनार्थ

D.S.(28)

10/12

कलेक्टर को उभारी कार्यकारी  
नियुक्त करने के आदेश है

9/12/15

S(28)

10/12

10/12/15

अनुमोदनात् पत्र का प्रारूप मप लब्ध  
प्रतियोगिता दस्तावेज हेतु प्राप्त है।

अवर सचिव

S(28)

10/12/15

10/12

9/02

23/12/15

2709  
दिनांक 28/12/2015



2

संख्या २०-५९४/२०१५/लाह/नम्रण

उपस्थित-२ सचिवालय

विषय: रिट-या. क्रमांक ७२०५/२०१५ काय की बाधेबेह  
रिट तो मार देव अन्य विनियम अपि शासन  
संक्रमण ।

का विभाग

प्रतिपक्ष है:-      -X-

पंजी क्रमांक ५५२, दिनांक १६-३-२०१६

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन करें।  
कलेक्टर, ग्वाल्हिर ने <sup>विभागीय पत्र दि. २२.१३.२०१६</sup> याचिका को खन प्राप्त में  
वापस कर लाय है <sup>लेखनीय</sup> पार ग्वाल्हिर की  
प्रभावी आधिकारी निपुण मल आदेश की  
प्रति उपलब्ध कराई है। जल्दी प्रतिक्रिया  
लेखनीय विधि विभाग को अतिरिक्त करी हुई प्राप्त

7210/DSR  
21/3/2016

प.प. ५३/२०१६/नम्रण  
21/3/2016

~~क.स. को.स.~~  
~~D.S.R.~~

17.3.16

17.3.16

18/3

8586

21/3/16

सचिव विभाग

क्रमांक १७  
२९/३/१६



सं. २०-५९८/२०१५/लल/नम

(५) नवी.

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at  
GWALIOR**

Process Id: 33480/2015

WP/7205/2015

From

Deputy Registrar,  
High Court of MP  
Bench at Gwalior

२०१५-११-२०

रजिस्ट्रार  
२८५३  
२०/११/२०१५

FOR ADMISSION  
Fixed for 26-11-2015  
DA- 01  
Respondent No. 1 (i)  
RAD

To,

State of Madhya Pradesh  
Through Principal Secretary,  
Ministry of Revenue,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 06-11-2015

Sub: Notice to Respondent No. 0 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 7205/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Raghvendra Singh Tomar** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/7205/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **26-11-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)  
Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

S02B

18/11/15

Your faithfully

SECTION OFFICER

Section Officer  
High Court Of Madhya Pradesh  
Bench Gwalior



कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

आदेश

ग्वालियर, दिनांक 02/12/15

क्रमांक/क्यू/जे.सी./19-6/ 443/2015

सिविल प्रक्रिया संहिता 1988 (1908 का अधिनियम सं. 5) के आदेश-27 नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए :--

श्री ... W.P. 7205/2015 ..... की पक्षकार के नाम राधवेन्दु सिंह लोमर ..... में. म. प्र. राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापन करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजीत होने के लिए नियुक्त करते हैं.

2. प्रभारी अधिकारी को एक आदेश दिया जाता है कि म. प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :--

- (1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनकी कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट से विनिर्दिष्ट की जावेगी.
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियत अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा.
- (3) वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा.
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा.
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित जवाब/उत्तर तैयार करवायेगा.
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पर भेजेगा :--  
क-वाद-पत्र एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट.  
ख-प्रस्तावित लिखित कथन एक प्रारूप.  
ग-उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना ..... प्रस्तावित है.  
घ-मामले के विशुद्धिकरण के लिये आवश्यक कारण पत्रों की प्राप्ति या उसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये.
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों का स्वयं को सदैव ही अवगत कराना.
- (8) अब कोई आदेश / निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश के विरुद्ध पारित किया जाता, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसी क्रम सहित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्यदिवस को आवेदन करना.
- (9) अपनी रिपोर्ट तथा आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रतियां तथा शास. अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे.



- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और उसकी सूचना देते समय कष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपनी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देवे। वह वर्तमान पत्र का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब कि प्रभारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देंगे तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे।
- (13) प्रभारी अधिकारी या आदि लोक अभियोजक मुकदर है तो यह जैसे भी वाद का निश्चित होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जावे और रिपोर्ट के साथ भेजी जावे।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकदर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उस मामलों में यह किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतः एवं वह आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित होगा।
- (15) प्रभारी अधिकारी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील रिवीजन/पेश करने के लिये भी प्रभारी अधिकारी रहेंगे और उनका वह कर्तव्य रहेगा कि वे यह प्रयास करें कि समय पर अपील रिवीजन पेश करते की अनुमति मिल जाये और विहित अवधि में रिवीजन पेश हो जावेंगे।

संलग्न :-- याचिका

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

याचिका की प्रति अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त करें एवं प्रस्तुत किये गये प्रत्यावर्तन की एक प्रति इस कार्यालय में भेजें।

कलेक्टर ग्वालियर

एवं

पदेन उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रतिलिपि :--

1. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल.
3. प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग राजस्व विभाग .....
4. राजस्व विभाग .....  
राजस्व विभाग .....  
 प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित कर साथ ही शासकीय अधिवक्ता के सम्पर्क कर दें और उपस्थित प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शास. अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिये बाद पर की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये मामले की सुनवाई दिनांक. .... हेतु नियत की गई.
5. .... को और पत्र क्रमांक. .... दिनांक. ....  
 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

कलेक्टर ग्वालियर

एवं

पदेन उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन.